छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर
जिला–रायपुर

क.एफ 8–209 / 22 / सू.अ. / पं.ग्रा.वि.वि. / 2011 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 29 / 12 / 2020

प्रति,

1. **राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,**
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.)
महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर
(छत्तीसगढ़)

2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
चिप्स, एस.डी.सी.बिल्डिग
सिविल लाईन रायपुर(छ.ग.)

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर का मैनुअल का स्व–सकिय प्रकटीकरण करने हेतु विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।**

संदर्भः– अवर सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर का पत्र कमांक 393 / आर जी–1255 / 2018 / 1–13 दिनांक 10 फरवरी 2020

---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार इस विभाग से संबंधित जानकारियॉ सी.डी. सहित इंटरनेट पर स्व–सकिय प्रकटीकरण वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

26/12

(जमील अहमद)
अवर सचिव एवं
सहायक जनसूचना अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ8–209 / 22 / सू.अ. / पं.ग्रा.वि.वि. / 2011 रायपुर, दिनांक / 08 / 2013

प्रतिलिपिः–

अवर सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर का पत्र कमांक 393 / आर जी–1255 / 2018 / 1–13 दिनांक 10 फरवरी 2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

26/12

अवर सचिव एवं
सहायक जनसूचना अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मैनुअल

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 अंतर्गत)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व–सकिय प्रकटीकरण

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला–रायपुर(छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छ.ग. मंत्रालय, नया रायपुर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सूचना का अधिकार के तहत् जानकारी

Under-Chapter II, Section 1(1)(b) (धारा–4 (1)(ख) के अंतर्गत)

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं –

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विशिष्ठियां, कृत्य और कर्तव्य
2. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों व अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ।
3. विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया ।
4. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित मापमान ।
5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संधारित नियम, विनियम एवं अनुदेशों का विवरण ।
6. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संधारित पंजियों व दस्तावेजों का विवरण ।
7. नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण ।
8. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित मंडल, परिषद, कमेटिया ।
9. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों, अधिकारियों की निर्देशिका ।
10. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी ।
11. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में आबंटित बजट ।
12. अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय व लाभान्वितों से संबंधित जानकारी ।
13. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुदान रियायतों, अनुज्ञापन्नों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ।
14. इलेक्ट्रानिक रुप में उपलब्ध जानकारी ।
15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण ।
16. लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण
17. अन्य उपयोगी जानकारियां

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छ.ग. मंत्रालय, नया रायपुर

खण्ड –I

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशिष्ट कृत्य एवं कर्तव्य

(राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) (i) के अंतर्गत)

इस अधिनियम का मूल मन्तव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी जनता के प्रति जबाबदेह हो तथा सरकारी मशीनरी के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो। इस अधिनियम के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारी के कार्यकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सके। लोक प्राधिकारी की परिभाषा इस प्रकार की है जिससे न केवल प्रशासनिक तंत्र के संबंध में कोई भी नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। बल्कि उन सभी निकायों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है जो लोक प्राधिकारी से नियंत्रित होते है या 2 लाख या उससे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते है।

छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर में है। विभाग का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन का कार्य अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहित है।

छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर का पता कार्यालयीन समय एवं अवकाश की स्थिति निम्नानुसार है :–

पता – **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,**
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला–रायपुर(छ.ग.)
पिन कोड नं. 492002

कार्यालयीन समय – प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे नियत

अवकाश– छ.ग. शासन द्वारा घोषित कार्यालयीन अवकाश, विभाग हेतु मान्य होंगे।

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छ.ग. मंत्रालय, नया रायपुर

खण्ड –II (मैनुअल 1)

छत्तीसगढ़ शासन : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों व अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य (राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) (i) के अंतर्गत)

2.1 छत्तीसगढ़ शासन का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, आम आदमी बीमा योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान तथा संचालक, पंचायत के अंतर्गत पंचायतीराज 13वां वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, एकीकृत कार्योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, छ.ग. ग्रामीण निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, ग्राम विकास योजना, छ.ग. गौरव एवं हमारा छ.ग. योजना तथा पंचायत अनुभाग की योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक जानकारी जैसे निर्दिष्ट कार्यो के संचालन का प्रशासकीय विभाग है। उक्तानुसार कार्यो का संपादन क्रमशः (1) विकास आयुक्त (2) संचालक, पंचायत संचालनालय जो विभागाध्यक्ष है कि माध्यम से कराया जाता है। इसके अतिरिक्त (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छगग्रासविअ, (2) मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (3) मुख्य अभियंता, मुख्यमंत्री ग्रासवियो (4) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (5) संचालक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (6) मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (7) संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई (8)संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (9) मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन जिला पंचायत / जनपद पचायत स्तर पर नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पंचायतराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियां एवं कृतियां।

2.2 विभाग के दायित्व

इस विभाग को सौपे गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :–

- विभाग द्वारा शासित नियमों व अधिनियमों का प्रशासन ।
- नये अधिनियमों व नियमों को तैयार करना तथा सक्षम प्राधिकारी से वैधानिक एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना ।
- अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधनों का प्रारुप तैयार करना और निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना ।
- विभाग से संबंधित राज्य शासन के नीतियों का सृजन, परिमार्जन एवं क्रियान्वयन ।
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागाध्यक्षों से समन्वय ।
- भारत शासन द्वारा जारी नीतियों का परीक्षण और राज्य शासन की ओर से सुझाव तथा परामर्श देना।
- भारत सरकार और राज्य शासन की योजनाओं को लागू करना तथा उनके अनुरुप श्रवण मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया निर्धारण करना ।
- पंचायतीराज अधिनियम सन् 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन की शक्तियों एवं कृत्यों का पालन ।
- वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित विषयों को छोड़कर विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन ।
- लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर तैयार कर प्रेषित करना ।
- सी.ए.जी. एवं लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषित करना ।
- सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों में चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करना ।

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छ.ग. मंत्रालय, नया रायपुर

खण्ड –3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) (iii) के अंतर्गत)

छत्तीसगढ़ शासन : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के शक्तियों एवं कर्तव्य

विभाग में छ.ग. कार्यापालक शासन के कार्य नियम के अधीन शक्तियों एवं कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है।

खण्ड –4 (मैनुअल 3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

- पंचायतीराज अधिनियम वर्ष–1993
- छ.ग. वित्तीय अधिकारी पुस्तिका भाग–एक एवं भाग–दो
- छ.ग. कार्य विभाग मैनुअल 1963
- छ.ग. पेंशन नियम
- सिविल सेवा आचरण नियम 1965
- मूलभूत नियम
- अवकाश नियम
- सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966
- सचिवालयीन मैनुअल्स
- सेवा भर्ती नियम

(1) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा पारित नियम/निर्देश के अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(2) पंचायतराज अधिनियम 1993 (क–1 सन् 1994) तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम ।

खण्ड –5 (मैनुअल 4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

महत्वपूर्ण नीति तथा अधिनियम में संशोधन राज्य के विधानसभा द्वारा पारित किये जाते है। स्थापित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमों का सृजन विभाग द्वारा किया जाता है जिसे विधानसभा के पटल पर रखा जाता है।

(1) जिला स्तर पर जिला पंचायत ।
(2) विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत
(3) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छ.ग. मंत्रालय, नया रायपुर

खण्ड (मैनुअल 7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		पता
				कार्यालय	निवास	
1.	श्री एस.एल. नायक, संयुक्त सचिव	अपीलीय अधिकारी	0771	2226255	–	कक्ष क्र. ADO-26 मंत्रालय रायपुर
2.	श्री जमील अहमद, अवर सचिव	जनसूचना अधिकारी	0771	2510484	–	कक्ष क्र. AD0-C18 मंत्रालय रायपुर
3.	श्री दिनकर गजभिये अनुभाग अधिकारी	सहायक जनसूचना अधिकारी	0771	2510567	–	कक्ष क्र. ADO-7 मंत्रालय रायपुर
4.	श्री दशरथ साहू, अनुभाग अधिकारी	सहायक जनसूचना अधिकारी	0771	2510567	–	कक्ष क्र. ADO-7 मंत्रालय रायपुर

खण्ड (मैनुअल 8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

विभाग के अधिनस्थ दोनो विभागाध्यक्षों क्रमशः विकास आयुक्त, एवं संचालक, पंचायत संचालनालय रायपुर से प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रस्ताव मान. मंत्रीजी के अनुमोदन उपरांत स्वीकृत की जाती है। मंत्रालयीन कार्य संचालन नियम के प्रावधानो के अंतर्गत विभाग के विशेष मामलों में मुख्य सचिव एवं मान. मुख्यमंत्रीजी से अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति दी जाती है। नीतिगत निर्णय प्रदेश शासन के मंत्री परिषद के निर्णय के उपरांत क्रियान्वित किये जाते है।

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छ.ग. मंत्रालय, नया रायपुर

खण्ड (मैनुअल 9)

अधिकारी और कर्मचारियों के निर्देशिका

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		पता
				कार्यालय	निवास	
1.	श्री प्रसन्ना आर	सचिव	0771	2510244		कक्ष क्र. S1-4 मंत्रालय नया रायपुर
2	श्री मो.कैशर अब्दुलहक	विशेष सचिव	0771	2960214		कक्ष क्र. S3-46 मंत्रालय नया रायपुर
3.	श्री एस.एल. नायक	संयुक्त सचिव एवं अपीलीय अधिकारी	0771	2226255		कक्ष क्र. ADO-26 मंत्रालय रायपुर
4.	श्री अशोक चौबे,	उप सचिव	0771	2510363		कक्ष क्र. S3-11 मंत्रालय नया रायपुर
5.	श्री आर.के.शर्मा	अवर सचिव	0771		9424223413	कक्ष क्र AD-07 मंत्रालय नया रायपुर
6.	श्री आर.एल. खैरवार	अवर सचिव	0771	2510285		कक्ष क्र AD0-08 मंत्रालय नया रायपुर
7.	श्री अनुज पटेल	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	0771	2226255		कक्ष क्र. S3-09 मंत्रालय नया रायपुर
8.	श्री जमील अहमद	अवर सचिव एवं जनसूचना अधिकारी	0771	2510484		कक्ष क्र. AD0-C18 मंत्रालय रायपुर
9.	श्री दशरथ साहू	अनुभाग अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी	0771	2510567		कक्ष क्र ADO-7 मंत्रालय नया रायपुर
10	श्री दिनकर गजभिये	अनुभाग अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी	0771	2510567		कक्ष क्र ADO-7 मंत्रालय नया रायपुर

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छ.ग. मंत्रालय, नया रायपुर

खण्ड –11 (मैनुअल 10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्यति

क्र. स.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषि / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्यति जो नियमावली में दी गई हो
1.	श्री प्रसन्ना आर	सचिव			शासन के नियमों अनुसार
2.	श्री मो.कैशर अब्दुलहक	विशेष सचिव			–––"–––
3.	श्री एस.एल.नायक	संयुक्त सचिव एवं अपीलीय अधिकारी			–––"–––
4.	श्री अशोक चौबे.	उप सचिव			–––"–––
5.	श्री अनुज पटेल	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी			–––"–––
6.	श्री आर.के.शर्मा	अवर सचिव			–––"–––
7.	श्री आर.एल.खैरवार	अवर सचिव			–––"–––
8.	श्री जमील अहमद	अवर सचिव एवं जनसूचना अधिकारी			–––"–––
9.	श्री दशरथ साहू.	अनुभाग अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी			–––"–––
10	श्री दिनकर गजभिये	अनुभाग अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी			–––"–––

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छ.ग. मंत्रालय, नया रायपुर

खण्ड –12 (मैनुअल 11)
प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा वितरण की सूचना)

निर्माण,विकास,तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरण के लिये

विभाग के अधिनस्थ दोनो विभागाध्यक्षों क्रमशः विकास आयुक्त, एवं संचालक, पंचायत संचालनालय नया रायपुर के माध्यम से बजट का संचालन किया जाता है।

खण्ड –13 (मैनुअल 12)
अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

विभाग के अधिनस्थ विभागाध्यक्ष क्रमशः विकास आयुक्त एवं संचालक पंचायत संचालनालय रायपुर के माध्यम से अनुदान/राज सहायता कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जाता है।

खण्ड –14 (मैनुअल 13)
रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय क्रमशः विकास आयुक्त एवं संचालक पंचायत संचालनालय नया रायपुर द्वारा जानकारी का विवरण संधारित किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म. मंत्रालय, नया रायपुर

खण्ड –15 (मैनुअल 14)

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

विभाग में कार्य के संचालन हेतु मंत्रालयीन कार्य नियम तथा सचिवालयीन कार्यालय पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रिया का अनुशरण किया जाता है ।

मैनुअल 3 के अनुसार

खण्ड –16 (मैनुअल 15)

इलेक्ट्रानिक रुप में उपलब्ध सूचनायें

इलेक्ट्रानिक फॉर्मूला जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खण्ड –17 (मैनुअल 16)

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

अनुभाग अधिकारी द्वय सहायक जन सूचना अधिकारी के कक्ष क्र. ADO-7 महानदी भवन, नया रायपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
म.म. मंत्रालय, नया रायपुर

खण्ड –18 (मैनुअल 17)

अन्य उपयोगी जानकारियां

1. विभाग से संबंधित सुसंगत जानकारी निम्नांकित कार्यालयों प्राप्त की जा सकती है :–

कार्यालय का नाम	पता
विकास आयुक्त	विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर
संचालक, पंचायत संचालनालय	इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छगग्रासविअ	विकास भवन सिविल लाईन्स, रायपुर
मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	विकास भवन सिविल लाईन्स, रायपुर
मुख्य अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	विकास भवन सिविल लाईन्स, रायपुर
आयुक्त, मनरेगा	सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, तृतीय तल, विकास भवन नवा रायपुर–अटल नगर, जिला–रायपुर
संचालक, ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान	ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा रायपुर(छ.ग.)
मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)	नीर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर
मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन	सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, नवा रायपुर–अटल नगर, जिला–रायपुर(छ.ग.)
संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई	कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर
संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)	चतुर्थतल, विकास भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर

2. अन्य जानकारी विभाग के वेबसाईट cg.gov.in पर उपलब्ध है ।

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छ.ग. मंत्रालय, नया रायपुर